भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 25

(दिनांक 02.02.2022 को उत्तर के लिए)

मिशन कर्मयोगी

25. श्री तालारी रंगैय्या :
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्षमता निर्माण आयोग गठित किया गया है जैसा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा उसके चयन के लिए किन प्रक्रियाओं को अपनाना गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मयोगी भारत के लिए विशेष प्रयोज्य माध्यम की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : जी हां।

(ख) : मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से नियुक्त क्षमता विकास आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

अध्यक्ष - श्री आदिल जैनुलभाई

सदस्य (मानव संसाधन) - श्री रामास्वामी बालासुब्रमण्यम

सदस्य (प्रशासन) – श्री प्रवीण परदेशी

(ग) : 'कर्मयोगी भारत' नामक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) को दिनांक 31 जनवरी, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित किया गया है।

*****